



NMC पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (व्यावसायिक आचरण) वनियम 2023

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय चकतिसा आयोग, जेनेरक ओषधयिँ

मेन्स के लयः

भारत में चकतिसा शकषा और स्वास्थय देखभाल में परवर्तन लाने में राष्ट्रीय चकतिसा आयोग का योगदान, जेनेरक दवाओं से संबंढत नैतिक और कानूनी वमिर्श

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत में चकतिसा शकषा और अभ्यास के लयः सर्वोच्च नयामक संस्था, राष्ट्रीय चकतिसा आयोग ने डॉक्टरों के लयः पेशेवर आचरण संबंढी नए दशा-नरिदेश जारी कयि है, इन नरिदेशों के अनुसार उन्हें वशिषिट कंपनयिँ की दवाओं के बजाय केवल जेनेरक दवाएँ लखिना अनविर्य है ।

- इस कारण देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडयिन मेडिकल एसोसिएशन ने इन दशा-नरिदेशों को "अवैज्जानक" और "अव्यावहारक" बताते हुए वरिध परदर्शन शुरू कर दया है ।

राष्ट्रीय चकतिसा आयोग के दशा-नरिदेशः

- सोशल मीडया उपयोग दशा-नरिदेशः
 - डॉक्टर सत्यापन योग्य और वशिषसनीय जानकारी ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं ।
 - रोगी के उपचार की जानकारीयों पर चर्चा करने अथवा रोगी स्कैन साझा करने पर प्रतबिंध ।
 - रोगी प्रशंसापत्र, चत्रि और वीडयो साझा करने पर प्रतबिंध ।
 - सोशल मीडया के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोगयिँ से आग्रह करने पर रोक ।
- उपचार से इनकार करने का अधिकारः
 - डॉक्टर दुर्व्यवहार करने वाले, अनयिंतरति या हसिक रोगयिँ तथा रशितेदारों का उपचार करने से इनकार कर सकते हैं ।
 - यदरोगी इसका व्यय वहन नहीं कर सकता तो डॉक्टर इलाज से इनकार कर सकते हैं, लेकनि चकतिसीय आपात स्थति में नहीं ।
 - लगी, नसल, धरम, जाति, सामाजिक-आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव पर प्रतबिंध ।
- प्रसिक्रपिशन एवं दवा दशा-नरिदेशः
 - प्रसिक्रपिशन, बड़े अक्षरों में लखि जाने चाहयि ।
 - वशिषिट मामलों को छोडकर, जेनेरक दवाइयों नरिधारति की जानी चाहयि ।
 - नशिचति खुराक संयोजनों का वविकपूर्ण उपयोग के साथ केवल अनुमोदति संयोजनों को नरिधारति करना ।
 - जेनेरक तथा ब्रांडेड दवाओं की समानता के बारे में शकषा को प्रोत्साहति करना ।
- सतत् व्यावसायिक वकिस (CPD):
 - डॉक्टरों के लयः अपने सक्रयि वर्षों के दौरान सीखना जारी रखना अनविर्य है ।
 - डॉक्टरों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपने संबंढति कषेत्रों में 30 क्रेडिट प्वाइंट लेने चाहयि ।
 - वार्षिक CPD सत्र की सफिरशि की जाती है, जसिमें अधिकतम 50% ऑनलाइन प्रशकषण आयोजति हो ।
 - मानयता प्राप्त डगिरयिँ तथा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय चकतिसा रजसिटर में जोडा गया ।
- सम्मेलन भागीदारी दशा-नरिदेशः
 - CPD सत्र या सम्मेलन फारमास्यूटकिल उद्योग द्वारा प्रायोजति नहीं कयि जा सकते ।
 - डॉक्टरों को फारमा प्रायोजकों के साथ तीसरे पक्ष की शैक्षणिक गतवधियिँ में भाग नहीं लेना चाहयि ।

- डॉक्टरों या उनके परिवारों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों से उपहार, आतिथ्य, नकद या अनुदान नहीं मलिना चाहिये।
- रेफरल या समर्थन के लिये डायग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सा उपकरण आदि से कमीशन स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिये।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग:

परिचय:

- NMC, वर्ष 2019 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council of India-MCI) का स्थान लिया है तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act), 2019 के तहत कार्य करता है। यह चिकित्सा शिक्षा के लिये भारत के नयामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

लक्ष्य और दूरदर्शिता:

- यह देश के सभी भागों में पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- यह न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है तथा चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिये सुलभ बनाता है।
- चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने तथा अनुसंधान में योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है।
- इसके पास मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये फीस को वनियमिति करने और यह सुनिश्चित करने के लिये मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करने का भी अधिकार है कवि आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।

NMC दशा-नरिदेश:

जेनेरिक मेडिसिनि के नरिदेश:

- डॉक्टरों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक भारत में उपलब्ध जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावकारिता है।
 - उनका दावा है कि जेनेरिक दवाओं के मानकीकरण और वनियमिन का अभाव है तथाउनमें से कई दवाइयाँ अवमानक, अवैध या जाली हैं।
- IMA के अनुसार, भारत में नरिमति 0.1% से भी कम दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। डॉक्टरों का तर्क है कि जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित किये बिना उन्हें लिखना रोगी की देखभाल तथा परिणामों से समझौता कर सकता है एवं उन्हें कानूनी और नैतिक जोखिमों में डाल सकता है।
 - उनका यह भी कहना है कि भारत में जेनेरिक दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव या ड्रग इंटरैक्शन की निगरानी के लिये कोई तंत्र नहीं है।
- नए दशा-नरिदेश डॉक्टरों को एक वशिष्ट ब्रांड लिखने की अनुमति नहीं देते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको फार्मास्यूटि स्टॉक में प्रासंगिक सक्स्थि घटक वाली कोई भी दवा मल्लिगी।
 - इसके अतिरिक्त कसी मरीज़ के लिये सबसे उपयुक्त दवा नरिधारित करने में डॉक्टरों की पसंद प्रतिबंधित हो सकती है, जिससे संभावित रूप से उपचार की प्रभावकारिता प्रभावित हो सकती है।
- डॉक्टरों का यह भी आरोप है कि दवा नरिमाताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और नयामकों के बीच एक समझौता है, जो घटिया तथा नकली दवाओं को बाज़ार में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
 - उनकी मांग है कि सरकार को जेनेरिक दवाओं को नुसखे के लिये अनविर्य बनाने से पहले उनका सख्त गुणवत्ता नरितरण और परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिये।

अन्य मुद्दे:

- CPD सत्रों के माध्यम से क्रेडिट अंक जमा करने के लिये डॉक्टरों पर अतिरिक्त बोझ डालना।
 - CPD आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डॉक्टरों के लिये मान्यता प्राप्त नरितर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सीमिति उपलब्धता।
- फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रायोजन पर रोक के कारण शैक्षिक सत्र कम हो गए।
 - चिकित्सा प्रगत और अनुसंधान के प्रति डॉक्टरों के प्रदर्शन पर प्रभाव।
- डॉक्टरों ने व्यापक दशा-नरिदेशों के पालन के कारण प्रशासनिक बोझ बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है।
 - वभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेटगिंस में डॉक्टर द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के साथ नैतिक आचरण को संतुलित करना।
- उन स्थितियों को स्पष्ट रूप से चिंतित करने में चुनौतियाँ, जनिमें डॉक्टर नैतिक रूप से उपचार से इनकार कर सकते हैं।
 - मरीज़ों की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर डॉक्टरों द्वारा इलाज से इनकार करने से उत्पन्न होने वाली कानूनी और नैतिक चिंताएँ।

आगे की राह

- अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करके, नयिमिति निरीक्षण करके, सख्त दंड लगाकर और दवा की गुणवत्ता के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाकर जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा बढ़ाना।

- डॉक्टरों और मरीजों को **जेनेरिक दवाओं के फायदे व नुकसान के वषिय में शक्ति करे**, वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करे, मथिकों को दूर करे तथा तर्कसंगत दवा पद्धतियों को बढ़ावा दे।
- **चकित्सा संस्थानों और पेशेवर नकियाँ को नयिमति CPD सत्र** आयोजति करने के लयि प्रोत्साहति करे जो चकित्सा प्रगतिकी एक वसित्त शृंखला को शामिल करते है।
- **NMC, चकित्सकों, फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रतनिधियों और मरीज समर्थन समूहों** के बीच खुली चर्चा तथा परामर्श की सुवधि प्रदान करे।
- उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नैतिक रोगी देखभाल सुनश्चिति करने हेतु दशा-नरिदेशों को परष्कृत एवं अनुकूलति करने के लयि चल रहे फीडबैक तथा सुझावों के लयि मंच बनाए।

स्रोत: इंडियन एकस्प्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nmc-registered-medical-practitioner-professional-conduct-regulations-2023>

